



-प्रेस नोट-

दिनांक: 21.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 08.06.2024 को वादी ने एक लिखित तहरीर बावत अभियुक्तगण 1- आदेश 2- दीपक व एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसालाकर भगा ले जाने व अभियुक्त आदेश द्वारा वादी की पुत्री के साथ दुष्कर्म करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0-225/24 धारा 120बी/366/376/506 भा.द.वि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अपर्हता की बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **आदेश सैनी पुत्र नरेश सैनी नि0 मौ0 मखदूमजहां सराय कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को विद्यार्थी तिराहा कस्बा गंगोह के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त आदेश सैनी उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आदेश सैनी पुत्र नरेश सैनी निवासी मौ0 मखदूमजहां सराय कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 जितेन्द्र सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. प्र0उ0नि0 सुखवीर सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 21.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद, पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा / 01 जिंदा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 20.06.2024 को वादी श्री सोनू पुत्र विनोद निवासी ग्राम नंगली नूर थाना देवबंद सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बावत अभियुक्तगण 1.निखिल पुत्र मैनपाल 2.अमित पुत्र नवाब निवासीगण ग्राम नगलीनूर थाना देवबंद द्वारा एक राय होकर वादी के को जान से मारने की नीयत से तमन्चे से फायरिंग करना वादी के पैर में गोली लगने से घायल होने के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0सं0- 319/24 धारा 307 भादवि अभियोग पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर फायरिंग की घटना में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक देवबंद के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त **अमित पुत्र नवाब निवासीगण ग्राम नगलीनूर थाना देवबंद सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर देवीकुण्ड मंदिर से ग्राम बाबूपुर की ओर जाने वाले रास्ते पर पडने वाले रजवाहे की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस नाजायज बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अमित पुत्र नवाब निवासी ग्राम नगलीनूर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 तमन्चा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 खोखा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त इतिहास-

- मु0अ0सं0 09/19 धारा 308, 323, 504, 506 भादवि चालानी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 राजन पुण्डीर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 राहुल कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
3. का0 योगेश कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 21.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना ,सहारनपुर पुलिस द्वारा 04 शातिर नशा तश्कर अभियुक्तगण
गिरफ्तार, कब्जे से 60 ग्राम अवैध स्मैक एवं 02 मोटर साईकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अराध नियंत्रण, अवैध नशे के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में दिनांक 20.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 04 शातिर नशा तश्कर अभियुक्तगण 1.नौशाद पुत्र इरशाद निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर 2.वासिद पुत्र लियाकत निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर 3.महताब पुत्र रियासत निवासी ग्राम घगरौली थाना बेहट जनपद सहारनपुर 4.मुजक्किर पुत्र मारुफ ग्राम घगरौली थाना बेहट जनपद सहारनपुर को पठेड रोड तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से कुल 60 ग्राम अवैध स्मैक एवं 01 मोटरसाईकिल स्पैलेन्डर UP11 BL1909 तथा 01 मोटरसाईकिल बजाज प्लेटिना नम्बर (HR 02 AQ 0421) बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 145/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। बरामद दोनो मोटरसाईकिलो को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 मे सीज किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार चारों अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि हम कम पढे लिखे हैं,मजदूरी का कार्य करते है व नशा करने के आदि हैं। हमें अक्सर पैसो की तंगी रहती है। हम हरियाणा राज्य से सस्ते दाम में स्मैक खरीदकर सहारनपुर के आस पास के क्षेत्रो में स्मैक अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

- 1.नौशाद पुत्र इरशाद निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
- 2.वासिद पुत्र लियाकत निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
- 3.महताब पुत्र रियासत निवासी ग्राम घगरौली थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।
- 4.मुजक्किर पुत्र मारुफ ग्राम घगरौली थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी-

- 60 ग्राम अवैध स्मैक
- 02 मोटरसाईकिल

गिरफ्तार अभियुक्त महताब का आपराधिक इतिहास -

मु0अ0सं0—01/2024 धारा—4/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार अभियुक्त मुजविकर: का आपराधिक इतिहास अभियुक्त -

मु0अ0सं0 -377/21 धारा—8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 करन नागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 आकाश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
3. है0का0 1052 कुलदीप कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर ।
4. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना सहारनपुर ।
5. का0 2360 कर्मवीर सिंह थाना चिलकाना सहारनपुर ।



दिनांक: 20.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.06.2024 को थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा 01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त **अरविन्द कुमार पुत्र दरियाव सिंह नि0 मौ0 शिवपुरी पोस्ट ऑफिस रोड़ थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित धारा 125 सीआरपीसी माननीय न्यायालय अपर परिवार न्यायाधीश रूडकी जिला हरिद्वार को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अरविन्द कुमार पुत्र दरियाव सिंह नि0 मौ0 शिवपुरी पोस्ट ऑफिस रोड़ थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम –

1. प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
2. उ0नि0 अरविन्द कुमार थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
3. का0 2215 ललित कुमार थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 21.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिल व 02 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 24.02.2024 को वादी श्री मेहताब अली पुत्र जाहिद अली निवासी ग्राम बाबुपुरा थाना ननौता जिला सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बावत अज्ञात चोर द्वारा सीएचसी रामपुर मनिहारान से वादी की मोटरसाइकिल स्पलैण्डर रजि0 नं0 UP-11-BR-5229 को चोरी कर लेने के संबंध में थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0-54/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण, वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.06.24 मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर मोटरसाइकिल चोर अभियुक्त **आर्यन पंवार पुत्र रविन्द्र निवासी ग्राम उमरी खुर्द थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर** को ग्राम मुण्डीखेडी छतरी चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गयी मोटरसाइकिल स्पलैण्डर रंग सिल्वर रजि0 नं0 UP 11 BR 5229 पर (फर्जी नम्बर प्लेट UP 12 BM 4587) लगी व थाना कोतवाली हरिद्वार उत्तराखण्ड के मु0अ0सं0 444/2024 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस रंग काला रजि0 नं0 UP 12 BM 8533 पर (फर्जी नम्बर प्लेट लगी UP 11 BU 4587) बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 54/24 में धारा 411/465 भादवि की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त आर्यन के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

आर्यन पंवार पुत्र रविन्द्र निवासी ग्राम उमरी खुर्द थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण–

- 02 चोरी की मोटरसाइकिल।
- 02 फर्जी नम्बर प्लेट।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त आर्यन पंवार उपरोक्त ने बताया कि मैं 9वीं कक्षा तक पढ़ा लिखा हूँ। मैंने व मेरे साथी जोन कुमार उर्फ जोनी ने मिलकर करीब 04 महीने पहले स्पलैण्डर मोटरसाइकिल सीएचसी रामपुर मनिहारान से चोरी की थी। हम दोनो ने दूसरी मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस रंग काला पिछले महीने हरिद्वार से चोरी की थी। हम दोनो पुलिस से बचने के लिये मोटरसाइकिलो पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर लगाते हैं। आज मैं और

मेरा साथी ग्राम मुण्डीखेडी छतरी चौराहे के पास खड़े थे तभी वहाँ पुलिस आ गई। पुलिस द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया गया व मेरा साथी मौके से फराह हो गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम –

1. प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
3. का0 1887 अंकित सोम थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
4. का0 2215 ललित सिंह थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
5. का0 2049 ब्रिजेश कुमार थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 21.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में 02 वाँछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 20.06.2024 को वादी विकास पुत्र यशपाल निवासी कस्बा व थाना राजौन्द जिला कैथल हरियाणा ने एक लिखित तहरीर बावत ग्राम टिकरौल में अभियुक्तगण .1संजीव उर्फ सोनू पुत्र इलमचन्द .2गौरव पुत्र प्रवीन .3शिवम उर्फ भूटानी पुत्र जगत सिंह निवासीगण ग्राम टिकरौल थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा एक राय होकर वादी व उसके अन्य साथियों के साथ मारपीट व जान से मारने की नियत से फायर करने जिसमे एक गोली विकास को लग जाने के सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0स0 141/24 धारा 307/323/504/506/34 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अमित नागर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 20.06.2024 की रात्रि में मुखिबर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में हत्या के प्रयास के मामले में 02 वाँछित अभियुक्तगण .1संजीव उर्फ सोनू पुत्र इलमचन्द .2गौरव पुत्र प्रवीन निवासी ग्राम टिकरौल थाना नानौता जनपद सहारनपुर को ग्राम टिकरौल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त संजीव की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 तमन्चा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। बरमदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने एक स्वर में बताया कि हमारा यशपाल व उसके साथियों के साथ पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। कल जब यशपाल व उसके अन्य साथी हमारे घर आये तो पैसों के लेन देन को लेकर हमारे बीच लड़ाई झगड़ा हो गया जिसमें संजीव ने यशपाल पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी जो की उसके दाहिने पैर में जा लगी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

- .1संजीव उर्फ सोनू पुत्र इलमचन्द निवासी ग्राम टिकरौल थाना नानौता जनपद सहारनपुर
- .2 गौरव पुत्र प्रवीन निवासी ग्राम टिकरौल थाना नानौता जनपद सहारनपुर

अभियुक्त संजीव उर्फ सोनू का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0स0 16/2016 धारा 120बी/384/504/506/507 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर
- 2.मु0अ0स0 27/2016 धारा 120बी/384/504/506/507 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर
- 3.मु0अ0स0 141/24 धारा 307/323/504/506/34 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नानौता सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष अमित नागर थाना नानौता जनपद सहारनपुर

2. उ0नि0 नीरज सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 लोकेश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. है0का0 823 नीरज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
5. है0का0 250 कविन्द्र थाना नानौता जनपद सहारनपुर
6. का0 2032 सचिन थाना नानौता जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 21.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर मोटरसाईकिल चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाईकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 20.06.2024 को वादी मुकदमा श्री शाहवेज पुत्र मौहम्मद युसुफ निवासी नदीम कालोनी गली नं0 01 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बावत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साईकिल एचएफ डीलक्स रजि0 नं0 UP 11 CM 8982 चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 189/2024 धारा 379 भादवि पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण व वाहन चोरी की घटनाओं आदि की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर मोटरसाईकिल चोर अभियुक्त **इमरान पुत्र नानू निवासी मौहल्ला गूजरान कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को रांगड़ो के पुल वाली रोड पर गन्दे नाले वाले के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी की गयी मोटरसाईकिल हीरो एचएफ डीलक्स रजि नं0 यू0पी0 11 सी एम 8982 बरामद हुयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त इमरान उपरोक्त ने बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ, मजदूरी का कार्य करता हूँ व नशा करने का आदि हूँ अक्सर मुझे पैसे की तंगी का सामना करना पड़ता है। जो मोटर साईकिल पुलिस ने मुझसे बरामद की है उसे मैंने कल दिनांक 20.06.2024 को नदीम कालोनी से चोरी की थी। आज जब मैं चोरी की मोटरसाईकिल को बेचने जा रहा था तो पुलिस द्वारा मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

➤ इमरान पुत्र नानू निवासी मौहल्ला गूजरान कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 चोरी की मोटरसाईकिल हीरो एचएफ डीलक्स रजि0 नं0 UP 11 CM 8982

अभियुक्त इमरान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0सं0 264/2021 धारा 307/34 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- मु0अ0सं0 265/2021 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- मु0अ0सं0 266/2021 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- मु0अ0सं0 305/2020 धारा 188/269/270 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- मु0अ0सं0 398/2019 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- मु0अ0सं0 189/2024 धारा 379/411 भादवि थाना कुतुबशेर, सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

- प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
- उ0नि0 श्री रामबाबू सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

3. है0का0 960 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
4. हैड का0 39 मुकेश थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।